भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं० 15

दिनाँक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds varxZr fo|ky;ksa dks lqjf{kr is;ty**

**15- Jh chñdsñ gfjizlkn%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds varxZr fo'ks"k :i ls dukZVd] NÙkhlx<+] >kj[kaM vkSj vksfM'kk esa fdrus fo|ky;ksa dks LoPN is;ty iznku fd;k x;k gS vkSj bl iz;kstukFkZ fdruh /kujkf'k iznku dh xbZ gS(

¼[k½ D;k dqN jkT;ksa] ftuesa mDr jkT; Hkh 'kkfey gSa] us fo'ks"k :i ls ckfydkvksa ds 'kS{kf.kd laLFkkuksa esa jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds varxZr V~;wcosy yxkus ds fy, ljdkj ls lgk;rk iznku djus dk vuqjks/k fd;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ljdkj }kjk bl ij D;k dkjZokbZ dh xbZ gS( vkSj

¼x½ jkT;ksa ls /kujkf'k dk fgLlk izkIr u gksus ds dkj.k yfEcr ifj;kstukvksa dk C;kSjk D;k gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री रामकृपाल यादव)**

(क) और (ख) पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय स्‍कूलों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति उपलब्‍ध कराने में उनके प्रयासों की सराहना करते हुए राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी) के अधीन कर्नाटक, छत्‍तीसगढ़, झारखंड और ओडीसा सहित राज्‍यों को तकनीकी एवं वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अधीन सहायता में 2007 से पहले निर्मित स्‍कूलों में पेयजल आपूर्ति की व्‍यवस्‍था करना शामिल है। इसके अतिरिक्‍त सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के अधीन उसके बाद निर्मित स्‍कूलों में पेयजल की सुविधा स्‍कूल परिसरों के निकट उपलब्‍ध कराई जाती है।

एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी के अधीन हालाँकि इस उद्देश्‍य के लिए अलग से धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है, फिर भी राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र उन्‍हें जारी एनआरडीडब्‍ल्‍यूपी(कवरेज) फंड का उपयोग करके लिंग पर ध्‍यान दिए बिना स्‍कूलों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएँ उपलब्‍ध करा सकते हैं।

(ग) राज्‍यों द्वारा तैयार पेयजल योजनाएँ/परियोजनाएँ केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए नहीं आती हैं। राज्‍यों के पास राज्‍य स्‍तरीय योजना अनुमोदन समिति(एसएलएसएससी) है जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित करती हैं और उनकी निगरानी करती है। यह मंत्रालय न तो राज्‍यों को योजना/परियोजना-वार फंड जारी करता है और न ही परियोजना-वार विलम्‍बता की निगरानी करता है।

\*\*\*